न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :–ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 138/2024

अनुवान

1 राजाराम पिता बजरंगदास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उमा का खेड़ा, धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा।

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. इन्दिरा देवी पत्नि सोजी बलाई उस वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
2 कपिल मिता गोपाल बलाई उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
3 कैलाश चन्द्र पिता उगमा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
4 कैलाशी पत्नि रामस्वरूप वैष्णव उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
5 चान्द देवी पत्नि प्रेमचन्द सेन उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
6 नवरतन पिता सुरजकरण पण्डा (ब्राहमण) उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
7 पुष्पा पत्नि प्रहलाद खटीक उम्र वयस्क निवासी गुढाकलां तहसील भीनाय जिला अजमेर (राज०)
8 पार्वती पत्नि कैदार वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सूंपा तहसील सरवाड जिला अजमेर (राज०)
9 मन्ना देवी पत्नि कैलाश चन्द्र खटीक उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
10 महावीर पिता कैलाश चन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
11 रामकन्या देवी पत्नि लालाराम माली उम्र वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
12 लक्ष्मण पिता रामस्वरूप वैष्णव उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
13 शिमला देवी पत्नि राजेन्द्र खटीक उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
14 संतीगा पत्नि दशरथ वैष्णव उस वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
15 सुमित्रा देवी पत्नि राधेश्याम वैष्णव उस वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
16 हाजरी पत्नि दिलदार फकीर उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)
17 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज०)

अप्रार्थीगण.....

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री शिवराज शर्मा

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 :– श्री विजय पाराशर

दिनांक :– **17.04.2026**

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में अंकित खतौनी संख्या 130 के आराजी संख्या–2247 रकबा 0.55 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 16 के शामलाती खाते मे दर्ज होकर सह खातेदारी अधिकारों से अभिलिखित है। वर्णित खसरे में प्रार्थी का 3/55 हक स्वामित्व निहित है। विवादित आराजी में वर्णित कृषि भूमि खसरे में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 16 की संयुक्त खातेदारी होकर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारान बहैसियत मालिक हक अधिकार रखते हैं। वर्णित खसरे में प्रार्थी का 3/55 व इसी प्रकार से शेष विपक्षी संख्या 01 से लगायत 16 प्रत्येक का पृथक पृथक हक हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। और प्रार्थी अपने हक स्वामित्व हिस्से अनुसार कृषि भूमि पर काबिज हो, काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगणों को विवादित आराजी में वर्णित सयुंक्त अविभाजित खसरे के खातेदारी में वर्णित हिस्से मुताबिक विभाजन कराये जाने बाबत कहे जाने पर विपक्षीगणों द्वारा कराने विभाजन साफ तौर पर इन्कार कर दिया जाता है। विपक्षीगण द्वारा संयुक्त आग्रजी का बिना विभाजन कराये मनमकसूद तरीके से प्रार्थी को मौके पर अपने

काबिज हिस्से से बेदखल करने का प्रयास करते है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी से उत्पन्न करते है। विपक्षीगण धन व स्वयं के काबिज हिस्से पर जाने से रोकते है, एवं खसरे पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। प्रार्थी से विवाद उत्पन्न करते है लडाई झागडा करने पर हमेशा उतारू रहते है। इसी कारण से प्रार्थी को संयुक्त खाते के विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, का वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का यह स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। जिससे विपक्षीगणों को इस गैरकानूनी कृत्य संयुक्त आराज़ी में करने से रोका जा सके। वर्णित खसरान में प्रार्थी का 3/55 व इसी प्रकार से शेष विपक्षी संख्या 01 से लगायत 16 प्रत्येक का पृथक पृथक हक हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। विपक्षीगण द्वारा संयुक्त आराजी का बिना विभाजन कराये धन एवं बाहूबल के दम पर मनमकसूद तरीके से प्रार्थी को मौके पर अपने काबिज हिस्से से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। और संयुक्त अविभाजित खसरे का बिकाव/हस्तांतरण/अन्तरण अन्यत्र कहीं करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जब प्रथमदृष्ट्या व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है तो उस स्थिति में असहनीय क्षति भी प्रार्थी को होने की पूर्ण सम्भावना है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश जारी किया जाकर मूल वादपत्र के अंतिम विनिश्चिय होने तक पावंद कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में होकर पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए। बावजूद इत्तला अप्रार्थीगण 02 ता 17 गैरहाजिर होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य की धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फुलिया कला में खाता संख्या 130 के आराजी संख्या 224 रकवा 055 हेक्टर भूमि जिसमें प्रार्थी का एवं अन्य प्रतिप्रार्थीगण का सामलाती हिस्सा होना स्वीकार है। जिसमें विपक्षीया सख्या 01 का हिस्सा 1/5 है जिसमें विपक्षीया संख्या 01 काबिज है। जिस अपने पक्के मकान एवं वाड़े बना रखे हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित तथ्य जिसमें प्रार्थी के दवारा उक्त कृषि भूमि पर काविज होकर कास्त करने का तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं बोई जाती है बल्कि उक्त कृषि आराजी पर सभी प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण ने अलग–अलग अपने पक्के मकान एवं बाड़े बना रखे हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिसमें उपरोक्त कृषि आराजी पर संयुक्त खातेदारी होने का कथन स्वीकार है तथा मालिकाना हक होना स्वीकार है। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिसमें प्रार्थी के द्वारा विभाजन करने हेतु कहा जाने का कथन जिसमें इनकार कर देने का कथन भी अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कभी भी प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल करने का प्रयास नहीं किया। तथा मौके पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है और नहीं उपरोक्त आराजी पर कोई फसल बोई है बल्कि सभी खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से में पक्के मकान अथवा कच्चे पक्के बाड़े बना रखे हैं अर्थात मौके पर सभी अपने–अपने हिस्से अनुसार विभाजित होकर निवास कर रहे हैं इस कारण से प्रार्थी के द्वारा जो यह अस्थाई निषेधाजा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है वह सरासर गलत है। इस कारण से सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और ना ही प्रथम नजर में प्रकरण पक्ष में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन स्पष्ट रूप से गलत होकर अस्वीकार हैं। सुविधा संतुलन और प्रथम नजर प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। इस कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीया संख्या 01 को पाबंद नहीं किया जावे । अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीया संख्या 01 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्वय खारिज किया जावे । तथा मौके पर उपरोक्त कृषि आराजी में किसी प्रकार की कोई फसल काश्त नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के द्वारा खारिज किया जावे ।

अप्रार्थीया संख्या 01 के अधिवक्ता ने पुनः निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी में किसी प्रकार की कोई फसल नहीं बोई जाती है तथा वर्तमान में कोई वहां पर खेती नहीं हो रही है तथा सभी सह खातेदार अपने–अपने हिस्से में पक्के मकान अथवा कच्चे पक्के बाड़े बनाकर रह रहे हैं जिसकी फोटोग्राफ विपक्षीया संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मन मकसूद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है इस कारण से यह प्रार्थना पत्र सव्वय किए जाने के आदेश प्रदान करें

पत्रावली पर अंतिम एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वर्णित खसरान में प्रार्थी का 3/55 व इसी प्रकार से शेष विपक्षी संख्या 01 से लगायत 16 प्रत्येक का पृथक पृथक हक हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। विपक्षीगण द्वारा संयुक्त आराजी का बिना विभाजन कराये धन एवं बाहूबल के दम पर मनमकसूद तरीके से प्रार्थी को मौके पर अपने काबिज हिस्से से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। और संयुक्त अविभाजित खसरे का बिकाव/हस्तांतरण/अन्तरण अन्यत्र कहीं करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जब प्रथमदृष्ट्या व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है तो उस स्थिति में असहनीय क्षति भी प्रार्थी को होने की पूर्ण सम्भावना है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश जारी किया जाकर मूल वादपत्र के अंतिम विनिश्चिय होने तक पाबंद कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के द्वारा जो यह अस्थाई निषेधाजा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है वह सरासर गलत है। इस कारण से सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और ना ही प्रथम नजर में प्रकरण पक्ष में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन स्पष्ट रूप से गलत होकर अस्वीकार हैं। सुविधा संतुलन और प्रथम नजर प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। इस कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीया संख्या 01 को पाबंद नहीं किया जावे ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीया संख्या 01 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किया जावे । तथा मौके पर उपरोक्त कृषि आराजी में किसी प्रकार की कोई फसल काश्त नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के द्वारा खारिज किया जावे ।

बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को निर्णित करते समय निम्न तीन तत्वों का अस्तित्व सुनिश्चित करना है :–

(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण
(2) अपूर्णनीय क्षति
(3) सुविधा का संतुलन

(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–पत्रावली के संलग्न दस्तावेज एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस से स्पष्ट है कि विवादित आराजी धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में अंकित खतौनी संख्या 130 के आराजी संख्या–2247 रकबा 0.55 हैक्टयर भूमि का प्रार्थी राजाराम पिता बजरंगदास रिकोर्ड खातेदार है। उक्त विवादित आराजी को लेकर विभाजन का वाद विचाराधिन है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन कराये प्रार्थी की हक आधिपत्य व कब्जे सुदा खसरान पर से प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होंगे एवं वाद बहुलता भी बढेगी। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

(2) अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन :–सुविधा एवं संतुलन के मध्यनजर दोनों तत्वों का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त को बेदखल कर दिया जाता है तो अस्थाई निशेधाज्ञा के अभाव में उन्हें ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति संभव ना हो। अतः अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जैर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियान्वितिआदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा की हाल जमावन्दी सम्वत् 2076–2079 में अंकित खतौनी संख्या 130 के आराजी संख्या–2247 रकबा 0.55 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से लगातय 16 को अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के निस्तारण तक पावंद किया जाता है। उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी के खसरे से संबंधित दर्ज 131, 136 एल.आर.एक्ट एवं 251 क आर.टी.एक्ट के पारित आदेशों की पालना, रहन मुक्त प्रकिया से प्रभावित नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां